रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14, 2004/श्रावण 23, 1926
No. 350] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14, 2004/SRAVANA 23, 1926

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2004

भारत गणराज्य और मंगोलिया के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 524(अ).—जबकि भारत गणराज्य और मंगोलिया के बीच प्रत्यर्पण संधि पर नई दिल्ली, भारत में 3 जनवरी, 2001 को हस्ताक्षर हुए थे; और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान 15 जनवरी, 2004 को दिल्ली में हुआ था तथा संधि में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :—

भारत गणराज्य और मंगोलिया, जिन्हें इसमें इसके बाद 'संविदाकारी पक्ष' कहा गया है;

अपराधियों को एक दूसरे का प्रत्यर्पित करने की व्यवस्था बना कर अपराध का दमन करने में दोनों पक्षों के सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से :

यह मानते हुए कि आतंकवाद का सामना करने के लिए ठोस उपाय करने आवश्यक हैं।

नीचे दिए अनुसार सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद-एक
प्रत्यर्पण का दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संधि में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों और शर्तों के अध्यधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसकी अभियोजन लाए जाने के लिए आवश्यकता है अथवा जो अनुच्छेद दो में यथा विनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के लिए सिद्धदोष है जिसे अनुरोधकर्त्ता पक्ष के क्षेत्र में किया गया है और वह अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के क्षेत्र में पाया जाता है चाहे वह अपराध इस संधि के लागू होने से पहले या बाद में किया गया हो।

2. इस संधि के अनुच्छेद दो में यथा विनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी मंजूर किया जाएगा जो अनुरोधकर्त्ता पक्ष के क्षेत्र से बाहर किया गया है किंतु जिसके संबंध में उसका क्षेत्राधिकार है बशर्ते अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष समान परिस्थितियों में ऐसे अपराध का क्षेत्राधिकार हो। ऐसी परिस्थितियों में अनुरोधकर्त्ता पक्ष, अपराध की संगीनता समेत मामले की सभी परिस्थितियों का ध्यान रखेगा।

3. प्रत्यर्पण अनुच्छेद दो में यथा विनिर्दिष्ट किसी ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए भी मंजूर किया जाएगा, यदि अपराध अनुरोधकर्त्ता पक्ष के नागरिक द्वारा तीसरे राज्य में किया गया हो और अपराधकर्त्ता की नागरिकता पर इसके क्षेत्राधिकार पर आधारित है, बशर्ते कि इस संधि के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रावधान हो।

अनुच्छेद दो
प्रत्यर्पण अपराध

1. इस संधि के प्रयोजनार्थ कोई प्रत्यर्पणीय अपराध ऐसे आचरण से घटित होता है जो प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि की कैद की सजा दिए जाने योग्य हो।

2. कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा इस बात के रहते हुए भी कि चाहे वह अपराध कराधान अथवा राजस्व से संबंध रखता हो अथवा चाहे वह नितांत रूप से वित्तीय स्वरूप का हो।

अनुच्छेद तीन
संगठित अपराध

प्रत्यर्पण इस संधि के अनुसार ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए किया जाएगा, चाहे वांछित व्यक्ति का वह आचरण अनुरोधकर्त्ता पक्ष में पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से किया गया हो, बशर्ते यह आचरण और उसके प्रभाव अथवा उसके अभिप्रेत कुल मिलाकर दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अंतर्गत प्रत्यर्पण अपराध के रूप में माने जाएं।

अनुच्छेद चार
षड्यंत्र करने, उकसाने और प्रयास करने के अपराध और बाह्य क्षेत्र न्यायाधिकार

(i) किसी भी व्यक्ति के लिए किसी प्रत्यर्पणीय अपराध को दुष्प्रेरित करना, करने का षड्यंत्र करना, प्रयास करने अथवा अपराध करने के लिए उकसाने अथवा अपराध में साथी के रूप में भाग लेने को दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।

(ii) संविदाकारी पक्षों के किसी भी नागरिक के लिए अपने क्षेत्र से बाहर किसी भी स्थान पर अपराध करने को दोनों संविदाकारी पक्षों के कानूनों के अंतर्गत भी अपराध माना जाएगा।

अनुच्छेद पांच
प्रत्यर्पण से इंकार करने का आधार

1. ऐसे किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, यदि :

1.1 वह अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष का नागरिक है; या

1.2 वह सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष को इस बात से संतुष्ट कर देता है कि निम्नलिखित कारणों से उसका प्रत्यर्पण करना अन्यायपूर्ण अथवा दमनकारी होगा ;

1.2.1 अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत दण्डात्मक प्रक्रिया शुरू करने के लिए अथवा सजा देने के लिए समयावधि बीत गई है अथवा कोई अन्य कानूनी आधार;

1.2.2 उसके विरुद्ध दोषारोपण न्याय के हित में नहीं किया गया है; अथवा

1.3 अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष के कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं है :

1.4 अपराध जिसके लिए वह अभियुक्त है, अथवा दोषसिद्ध है, एक सैन्य अपराध है जो सामान्य फौजदारी कानून के अंतर्गत भी अपराध नहीं है।

2. ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा जिसके विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसके संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोध प्राप्तकर्त्ता राज्य में पहले मुकदमा चलाया गया है और दोषसिद्ध हुआ है अथवा मुक्त कर दिया गया है।

3. अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध पर इंकार किया जा सकता है यदि उस व्यक्ति पर जिसका प्रत्यर्पण मांगा गया है उस पक्ष के न्यायालय में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

अनुच्छेद छह
क्रिया-विधि

प्रत्यर्पण और अन्तिम गिरफ्तारी के संबंध में क्रिया-विधि अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों द्वारा अधिशासित होगी।

अनुच्छेद सात
मुकदमा चलाने का दायित्व

1. यदि अनुरोध प्राप्तकर्त्ता पक्ष इस संधि के अनुच्छेद पांच के पैराग्राफ 3 में दिए गए कारणों से प्रत्यर्पण अनुरोध पर इंकार करता है तो वह मुकदमा चलाने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी के पास मामला भेजेगा।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में मुकदमा नहीं चलाने का निर्णय लेता है तो इस संधि अनुसार प्रत्यर्पण अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद आठ
अपने नागरिकों के अप्रत्यर्पण के परिणाम

यदि इस संधि के अनुच्छेद पांच के पैराग्राफ 1.1 के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष अपने कानूनों के अनुसार उसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा शुरू करेगा। इसके लिए अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष को संलग्न दस्तावेज और प्रमाण देगा।

अनुच्छेद नौ
प्रत्यर्पण और अस्थायी प्रत्यर्पण का स्थगन

1. यदि प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के क्षेत्र में किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा वहां सजा काट रहा है तो मामले की कार्यवाही हो जाने तक अथवा सजा के अंत तक अथवा छोड़े जाने तक प्रत्यर्पण स्थगित किया जा सकता है और इसकी जानकारी अनुरोधकर्त्ता पक्ष को दी जाएगी।

2. यदि प्रत्यर्पण के स्थगन सीमा समाप्त हो सकती है अथवा जांच में बाधा आ सकती है अनुरोधकर्त्ता पक्ष के विशेष अनुरोध पर उस व्यक्ति को अस्थायी तौर पर प्रत्यर्पित किया जा सकता है।

3. अस्थायी रूप से प्रत्यर्पित व्यक्ति को मामले की कार्यवाही के समाप्त हो जाने के तुरन्त बाद अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष को लौटा दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद दस
प्रत्यर्पण क्रिया विधि

1. प्रत्यर्पण अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।

2. अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा।

2.1 जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसका नाम और उपनाम (पैतृक नाम) निवास स्थान अथवा अता-पता और अन्य सम्बद्ध जानकारी तथा यदि संभव हो तो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है, वैसा विवरण, उसका फोटो ओर उंगलियों की छाप;

2.2 जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया गया है उसके तथ्यों का विवरण; और

2.3 तद्नुरूपी कानून का पाठ;

2.3.1 उस अपराध की व्याख्या; और

2.3.2 उस अपराध के लिए सजा का निर्धारण।

3. उपर्युक्त विनिर्दिष्ट जानकारी के अतिरिक्त मुकदमा चलाए जाने के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध के साथ अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट लगा होना चाहिए।

4. यदि अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध है जो पहले सिद्धदोष है अथवा पहले ही सजा हो चुकी है तो उसके साथ भी निर्णय की सत्यापित प्रति और ऐसा वक्तव्य लगा होगा कि वह व्यक्ति दोष सिद्धि अथवा सजा पर कोई प्रश्न करने का अधिकारी नहीं है और यह बताया जाएगा कि कितनी और सजा रह गई है;

5. यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष का यह विचार है कि इस संधि के प्रयोजन से प्रस्तुत किया गया साक्ष्य और दी गई जानकारी अनुरोध पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उपयुक्त समय के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद ग्यारह
अनन्तिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिक मामलों में अनुरोधकर्त्ता पक्ष के सक्षम अधिकारी के अनुरोध पर चाहे वह राजनयिक माध्यम से किया गया है अथवा नेशनल सेण्ट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस संगठन इंटरपोल द्वारा किया गया है प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त होने से पूर्व अपने कानूनों के अनुसार अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष उस व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी कर सकता है। अनुरोध के उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध की मंशा और गिरफ्तारी के वारंट के होने का कथन अथवा उसके विरुद्ध दोषसिद्धि का संकेत होना चाहिए और यदि उपलब्ध हों तो इस संधि के अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2.1 और 2.3 में विनिर्दिष्ट जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी यदि कोई है जो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष के क्षेत्र में अपराध किए जाने की स्थिति में अथवा व्यक्ति के दोषसिद्धि हो जाने की स्थिति में वारंट जारी करने अथवा गिरफ्तार करने का औचित्य ठहराने के लिए आवश्यक होगी।

2. अगर किसी गिरफ्तार व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त नहीं है तो उसकी गिरफ्तारी की तारीख से 60 दिन की समाप्ति पर उसे रिहा कर दिया जाएगा और अगर प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद में प्राप्त होता है तो यह प्रावधान अपेक्षित व्यक्ति के प्रत्यर्पण की आगे की कार्यवाही को नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद बारह
विशिष्टता का नियम

1. प्रत्यर्पित व्यक्ति पर अनुरोधकर्त्ता पक्ष में उस अपराध के इतर किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया है तथा उसके प्रत्यर्पण के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया है तथा उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रमाणित तथ्यों द्वारा उद्घाटित किसी कमतर अपराध के लिए अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष की सहमति के बिना न तो मुकदमा चलाया जाएगा और न ही उसे सजा दी जाएगी, न ही किसी ऐसे व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य की सहमति के बिना किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित किया जाएगा।

2. अगर

2.1 अवसर होने पर भी प्रत्यर्पित व्यक्ति ने आपराधिक प्रक्रिया के रदद् होने, सजा पूरी होने अथवा किसी विधिक आधार पर छोड़े जाने के 30 दिनों के भीतर अनुरोधकर्त्ता राज्य के क्षेत्र को न छोड़ा हो, ऐसी अवधि में वह समयावधि शामिल नहीं समझी जाएगी जिस दौरान प्रत्यर्पित व्यक्ति अपने नियंत्रण के बाहर के कारणों से अनुरोधकर्त्ता पक्ष का क्षेत्र छोड़ने में असमर्थ हो।

2.2 अगर प्रत्यर्पित व्यक्ति एक बार अनुरोधकर्त्ता पक्ष का क्षेत्र छोड़ देता है परन्तु स्वेच्छा से उधर लौट आता है तो अनुरोधकर्ता पक्ष की सहमति अपेक्षित नहीं है।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रावधान अनुरोधकर्त्ता राज्य के व्यक्ति के लौटने के बाद किए गए अपराधों अथवा ऐसे अपराधों से संबंधित उठने वाले मामलों में लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद तेरह
दस्तावेजों तथा साक्ष्यों का अभिज्ञान

1. किसी एक पक्ष के क्षेत्र में निर्धारित तरीके से सक्षम न्यायालयों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी अथवा सत्यापित दस्तोवेजों तथा रिकार्ड किए गए दस्तावेजों का अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से साक्ष्यांकन अपेक्षित नहीं होगा।

2. किसी भी एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में सार्वजनिक समझे गए दस्तावेजों को अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में भी सार्वजनिक दस्तावेजों को साक्ष्यबल प्राप्त होगा।

अनुच्छेद चौदह
प्रतियोगी अनुरोध

यदि एक ही व्यक्ति का, चाहे एक ही अपराध अथवा भिन्न अपराधों के लिए एक संविदाकारी पक्ष तथा किसी तीसरे पक्ष, जिसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य ने प्रत्यर्पण व्यवस्था की है से प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त होता है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता पक्ष यह निर्धारित करेगा कि उस व्यक्ति को किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाए तथा अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य प्राथमिकता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद पन्द्रह
मृत्यु दण्ड

यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य की विधि के अन्तर्गत वांछित व्यक्ति उस अपराध के लिए जिसके संबंध में उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है। मृत्युदंड का पात्र है किंतु अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य की विधि में इसी प्रकार के किसी मामले में मृत्युदण्ड की व्यवस्था नहीं है, प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है बशर्ते अनुरोधकर्त्ता राज्य इस प्रकार के आश्वासन देता है जिन्हें अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य इस बात के लिए पर्याप्त मानता है कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद सोलह
हस्तान्तरण

1. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के हस्तांतरण के तौर तरीकों पर सहमति दोनों संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एक दूसरे की सुविधा से होगी।

2. अनुरोधकर्त्ता राज्य वांछित व्यक्ति के अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के प्रदेश से प्रत्यर्पण निर्णय की सूचना प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर अथवा अनुरोधकर्त्ता राज्य के नियमों के अंतर्गत अनुमत इतनी लम्बी अवधि के लिए अनुरोधकर्त्ता राज्य ले जाएगा। यदि उसे इस अवधि के भीतर नहीं ले जाया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है।

3. मंगोलिया का जनरल प्रासिक्यूटर कार्यालय और भारत का विदेश मंत्रालय अपराधों के लिए प्रत्यर्पण और परिवहन के अनुरोधों के लिए एक दूसरे से राजनयिक माध्यम से संपर्क करेंगे।

अनुच्छेद सत्रह
अपराध से संबंधित वस्तुओं का हस्तांतरण

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अपने राज्य के नियमों की सामा के अंतर्गत प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपराध करते समय प्रयोग में लाए गए हथियारों अपराध के चिह्नों अथवा अपराध प्रक्रिया वाले हथियारों को अनुरोधकर्त्ता राज्यों को हस्तांतरित करेगा।

2. यदि व्यक्ति मर जाता है, भाग जाता है अथवा किसी अन्य कारण से प्रत्यर्पण नहीं हो सकता है उसे दशा में उपरोक्त सामान को हस्तांतरित किया जायेगा।

3. यदि वह सामान किसी अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अपेक्षित हो तो ऐसी कार्रवाही के अंत तक अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट सामान को हस्तांतरित करने में अस्थायी तौर पर विलंब कर सकता है।

4. अनुरोधकर्त्ता पक्ष के लिए स्थानान्तरित वस्तुओं पर तृतीय व्यक्तियों के अधिकार प्रभावी रहेंगे। कार्यवाहियों की समाप्ति के उपरांत, अनुरोधकर्त्ता पक्ष इन वस्तुओं को इनके स्वामियों के लिए अपने प्रदेश में वापस करेगा। यदि स्वामी अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के प्रदेश में हैं तो वस्तुओं को उन्हें स्थानांतरण के लिए उसे सौंपा जाएगा। यदि स्वामी किसी तीसरे देश के प्रदेश में है तो वस्तुओं को बिना प्रभारों के अनुरोधकर्त्ता राज्य द्वारा उन्हें वापस किया जाएगा।

5. वस्तुओं और धन का स्थानान्तरण अनुरोधकर्त्ता पक्ष की विधि में उपबंधित सीमाओं के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा।

अनुच्छेद अठारह
प्रत्यर्पण में परस्पर विधिक सहायता

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, अपने कानून में अद्भूत सीमा के भीतर उस अपराध के संबंध में जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के व्यापक उपाय प्रदान करेगा।

अनुच्छेद उन्नीस
प्रत्यर्पण व्यय

प्रत्यर्पण से संबंधित सभी व्यय उस संविदाकारी पक्ष जिसके प्रदेश में यह घटित हुआ है, द्वारा वहन किए जाएंगे। प्रत्यर्पित व्यक्ति को किसी एक संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी तीसरे राज्य से अन्य संविदाकारी पक्ष के प्रदेश से होकर लाने संबंधी मार्ग परिवहन व्यय पारगमन कार्यान्वित करने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा वहन किए जाएंगे।

अनुच्छेद बीस
भाषा

मौजूदा संधि को संपन्न करते समय, संविदाकारी पक्ष अपनी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे और साथ में दूसरे संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करेंगे।

अनुच्छेद इक्कीस
अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधियां

मौजूदा संधि संविदाकारी पक्षों के, उन अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों, और बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी जिनके संविदाकारी पक्ष पक्षकार हैं।

अनुच्छेद बाईस
अनुसमर्थ और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान यथाशीर्घ किया जाएगा। यह अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख के पश्चात् तीसवें दिन को प्रवृत्त होगी।

2. यह संधि तक प्रभावी रहेगी जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इसे समाप्त करने संबंधी आशय की कोई सूचना न दे दें, और यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो नोटिस प्राप्त होने के छह माह के बाद यह संधि समाप्त हो जाएगी।

जिनके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं ने अपने-अपने प्राधिकारियों के द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज नई दिल्ली में 2001 वर्ष में जनवरी माह के तीसरे वें दिन हिन्दी, मंगोलियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो पाठों में संपन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस संधि की व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता होने की दशा में अंग्रेजी पाठ सर्वोपरि होगा।

अत: अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) के खण्ड 12 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि अध्याय-II को छोड़कर उक्त अधिनियम के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मंगोलिया पर लागू होंगे।

[फा. सं. टी 413/9/99]

डॉ. ए. के. अमरोही, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

2498 GI/04-2

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2004

Extradition Treaty between the Republic of India and Mongolia

G. S.R. 524(E). – Whereas the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and Mongolia was signed at New Delhi, India on 3rd January, 2001; and the instruments of ratification exchanged at New Delhi on 15th January, 2004 and which Treaty provides as follows :

The Republic of India and Mongolia, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to make more effective the cooperation of the two Parties in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders :

Recognising that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows :

Article 1
Obligation to extradite

1. Each Contracting Party undertakes to extradite to the other Contracting Party, in the circumstances and subject to the conditions specified in this Treaty, any person who, being accused or convicted of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, committed within the territory of the Requesting Party, is found within the territory of the Requested Party, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

2. Extradition shall also be available in respect of an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty committed outside the territory of the Requesting Party but in respect of which it has jurisdiction, if the Requested Party would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such an offence. In such circumstances the Requested Party shall have regard to all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

3. Extradition shall also be available for an extradition offence as described in Article 2 of this Treaty, if it is committed in a third State by a citizen of the Requesting Party and it bases its jurisdiction on the citizenship of the offender, subject to the provisions under Article 15 of this Treaty.

Article 2
Extradition offences

1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting Party is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.

2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

ARTICLE 3
Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested Party, if this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence under the laws of both the Contracting Parties.

ARTICLE 4
Offences of conspiracy, incitement and attempt, and extra-territorial jurisdiction

1. It shall be an offence under the laws of both the Contracting Parties for any person to abet, conspire or attempt to commit, or incite or participate as an accomplice in the commission of, any extradition offence.

2. It shall also be an offence under the laws of both the Contracting Parties, for any citizen of a Contracting Party to commit any offence in any place beyond its territory.

Article 5
Grounds for refusal of extradition

1. A person may not be extradited if:

1.1 he is a citizen of the Requested Party; or

1.2 he satisfies the Requested Party that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of:

1.2.1 the expiry of the limitation-period for initiating the criminal proceedings under the legislation of the Requested Party or for execution of a sentence, or on other legal grounds;

1.2.2 the accusation against him having not been made in the interests of the justice; or

1.3 the extradition is not permitted according to the laws of the Requested Party;

1.4 the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.

2. A person shall also not be extradited if in respect of the offence for which his extradition is requested, he has been previously proceeded against in the Requested Party, and convicted or acquitted.

3. The request for extradition may be refused by the Requested Party if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that Party.

Article 6
Procedure

The procedure with regard to Extradition and provisional arrest shall be governed by the laws of the Requested State.

Article 7
Obligation to Prosecute

1. Where the Requested Party refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 3 of Article 5 of this Treaty, it shall submit the case to its competent authorities for prosecution.

2. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 8
Consequences of non-extradition of own citizens

If according to paragraph 1.1 of Article 5 of this Treaty, extradition is refused, the Requested Party, shall initiate criminal prosecution against such person for the same offence according to its laws. For this the Requesting Party shall transfer to the Requested Party the relevant documents and evidence.

Article 9
Postponement of extradition & temporary extradition

1. If the person to be extradited is being prosecuted or serving sentence for another crime in the territory of the Requested Party, the extradition may be postponed till the end of the proceedings of the case, end of sentence or release, which shall be advised to the Requesting Party.

2. If the postponement of extradition can cause the expiration of the limitation or impede the investigation, the person can be extradited temporarily under a special request of the Requesting Party.

3. The temporarily extradited person must be returned to the Requested Party immediately after the end of the proceedings of the case.

Article 10
Extradition procedures

1. The request for extradition shall be made through diplomatic channels.

2. The request shall be accompanied by:

2.1 the name and surname (petronym) of the person whose extradition is requested, information on his citizenship, place of residence or whereabouts and other pertaining data, as well as, if possible, the description of the person's appearance, his photographs and fingerprints;

2.2 a statement of the facts of the offence for which extradition is requested; and

2.3 the text of the corresponding law;

2.3.1 defining that offence; and

2.3.2 prescribing the punishment for that offence.

3. The request for extradition for the prosecution, besides the information specified above, must be accompanied by the warrant of arrest issued by a competent court or authority of the Requesting Party.

4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied by a certified copy of the judgement and a statement that the person is no longer entitled to question the conviction or sentence and showing how much of sentence has not been carried out;

5. If the Requested Party considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within a reasonable time.

Article 11
Provisional arrest

1. In urgent cases a person may be provisionally arrested by the Requested Party, in accordance with its law, on the request of the competent authorities of the Requesting Party, made either through Diplomatic Channels or the National Central Bureau of International Criminal Police Organization – INTERPOL, before the receiving of the request for extradition. The request shall contain an indication of intention to request the extradition of that person and a statement of existence of a warrant of arrest or a conviction against him; and, if available, the data specified in paragraphs 2.1 and 2.3 of Article 10 of this Treaty and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant or arrest had the offence been committed, or the person been convicted, in the territory of the Requested Party.

2498 GI/04—3

2. A person arrested upon such a request shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if a request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request for extradition is subsequently received.

Article 12
Rule of speciality

1. The extradited person may not without consent of the Requested Party, be prosecuted or punished in the Requesting Party for the offence other than that for which extradition has been granted and any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his extradition, nor may such a person, without consent of the Requested Party, be extradited to a third State,

2. The consent of the Requested Party is not required if;

2.1 the extradited person has not left, though had the opportunity, the territory of the Requesting Party within 30 days after termination of the criminal prosecution, serving of the sentence or release on any legal ground. Such period shall not be deemed to include the period of time during which the extradited person is unable to leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his control;

2.2 if the extradited person, once having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns there.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to offences committed after the return of person to the Requesting Party or matters arising in relation to such offences.

Article 13
Recognition of documents and evidence

1. Documents issued or certified and statements recorded by competent Courts or other authorities in the prescribed form in the territory of one Contracting Party as per its laws shall not require any form of authentication in the territory of the other Contracting Party.

2. Documents considered as public in the territory of one of the Contracting Parties shall have the evidential force of public documents also in the territory of the other Contracting Party.

Article 14
Competing requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting Party and a third State with which the Requested Party has an extradition arrangement, the Requested Party shall determine the State to which the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the Contracting Party.

Article 15
Capital punishment

If under the law of the Requesting Party the person sought is liable to the death penalty for the offence for which his extradition is requested, but the law of the Requested Party does not provide for the death penalty for the same offence, extradition may be refused, unless the Requesting Party gives such assurances as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.

Article 16
Transfer

1. The modalities of transfer of the person to be extradited shall be agreed upon by the competent authorities of both the Contracting Parties as mutually convenient.

2. The Requesting Party shall take the person sought from the territory of the Requested Party within one month of the consent of Requested Party to extradite or such longer period as may be permitted under the law of the Requested Party. If the person is not removed within that period, the Requested Party may refuse to extradite him for the same offence.

3. The General Prosecutor's Office of Mongolia and the Ministry of External Affairs of India shall communicate through diplomatic channels with one another on the request of extradition and transit for offences.

Article 17
Transfer of articles connected with crime

1. The Requested Party, shall within the limits of its legislation, transfer by the request of the Requesting Party the articles used for committing crime by the person being extradited, articles bearing crime traces or crime proceeds.

2. The above article shall be transferred also in cases when the extradition cannot be effected if the person died, fled or due to other reasons.

3. The Requested Party may temporarily postpone the transfer of the article referred to in paragraph 1 of this Article if they are required for proceedings instituted in connection with another criminal case till the end of such proceedings.

4. The rights of third persons to the articles transferred to the Requesting Party shall remain in force. Upon termination of the proceedings the Requesting Party shall return these articles to their owners in its territory. If the owners are in the territory of the Requested Party the articles are to be returned to it for the transfer to them. If the owners are in the territory of a third country the articles shall be returned to them by the Requesting Party without charges.

5. The transfer of the articles and of money shall be effected within the limits provided for by the legislation of the Requested Party.

Article 18
Mutual legal assistance in extradition

Each Contracting Party shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest possible measure of mutual legal assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Article 19
Expenses on extradition

All expenses related to the extradition shall be borne by the Contracting Party in whose territory the same occurred. The expenses caused by transit transportation of the extradited person by one of the Contracting Parties from a third State through the territory of the other Contracting Party shall be borne by the Contracting Party effecting the transit.

Article 20
Languages

While complying with the present Treaty, the Contracting Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting Party or in the English language.

Article 21
International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other International Conventions/Treaties to which the Contracting Parties are signatories.

Article 22
Ratification and termination

1. This Treaty shall be subject to ratification and it shall enter into force on the 30th day after the exchange of the instruments of ratification.

2. This Treaty shall remain in force until either of the Contracting Parties terminates it by sending a note to that effect to the other Contracting Party and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned being duly authorized thereto by their respective Authorities, have signed this Treaty.

Done in duplicate at New Delhi this 3rd day of January 2001 in Hindi, Mongolian and English languages, each version being equally authentic. In case of any interpretational difference, the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, shall apply to Mongolia with effect from the date of ~~the~~ publication of this notification.

[F. No. T. 413/9/99]

Dr. A. K. AMROHI, Jt. Secy. (CPV)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.